राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 622/2020

खेमचन्द यादव

–अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग जयपुर पता– शिक्षा संकुल जेएलएन मार्ग, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) मुख्यालय, जिला अलवर, राज.।
4. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर वेलफेयर राजस्थान, ज्योति नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.07.2020
आदेश की दिनांक : 03.08.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री कृष्ण शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 30–06–2019 को हुई है तथा उसे एक वर्ष की सेवा का लाभ नही दिया गया, यदि अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 01–07–2019 को होती तो उसे आगामी वेतन वृद्धि का लाभ प्रदत किया जाता अर्थात एक दिन पूर्व रिटायर्ड होने के कारण प्रार्थी को एक वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान नही किया गया, जबकि प्रार्थी ने दिनांक 01–07–2018 को दी गई वेतन वृद्धि के पश्चात दिनांक 30–06–2019 तक सेवाकाल पूरा कर लिया, लिहाजा प्रार्थी को वेतन वृद्धि जो उसे दिनांक 01–07–2019 को देय होती का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी को दिनांक

01.07.2018 से 30.06.2019 तक की सेवा अवधि के लिए 1 वेतन वृद्धि का लाभ दिया जावे। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण सिविल अपील संख्या–2471/2023 निदेशक (Admin. and HR) KPTCL & Ors. बनाम C.P. Mundinamani & ors. में पारित निर्णय दिनांक 11.04.2023 में यह निर्धारण किया गया है कि 30 जून को सेवानिवृत्त होने पर 1 वर्ष की सेवा पूरी हो जाती है। अतः एक वेतन वृद्धि दी जानी चाहिए थी।

3. अपीलार्थी उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहा है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांत के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)